

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

--: अधिसूचना :-

स0क0स्था0(मु0)-82/2022 -...../भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद द्वारा समाज कल्याण विभाग के नियंत्राधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय के अधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ। -

- (1) यह नियमावली "बिहार दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2026" कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ। - इस नियमावली में जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :-

- (i) 'सेवा' से अभिप्रेत है दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा;
- (ii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग;
- (iii) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है बिहार कार्यपालिका नियमावली में यथा निर्धारित नियुक्ति प्राधिकार;
- (iv) 'नियंत्री पदाधिकारी' से अभिप्रेत है अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग;
- (v) 'नियत तिथि' से अभिप्रेत है इस नियमावली के आरम्भ होने की तिथि;
- (vi) 'सीधी भर्ती' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति;
- (vii) 'सदस्य' से अभिप्रेत है दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा में नियुक्त व्यक्ति;
- (viii) 'सरकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
- (ix) 'विभाग' से अभिप्रेत है समाज कल्याण विभाग।

3. संवर्ग की संरचना। - यह एक राज्य स्तरीय सेवा होगी जो समाज कल्याण विभाग के प्रशासी नियंत्रण में होगी। इस सेवा के विभिन्न कोटि के पदों की संवर्ग संरचना निम्नवत होगी :-

क्र0	कोटि का नाम	नियुक्ति का स्रोत	स्तर
(क)	सहायक निदेशक	सीधी भर्ती	राजपत्रित (मूल कोटि)
(ख)	उप निदेशक	प्रोन्नति द्वारा	राजपत्रित (प्रथम प्रोन्नति स्तर)
(ग)	संयुक्त निदेशक	प्रोन्नति द्वारा	राजपत्रित (द्वितीय प्रोन्नति स्तर)

4. संवर्ग बल। - संवर्ग का वेतनमान एवं संवर्ग बल वही होगा, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

5. भर्ती। -

- (i) सभी सीधी भर्तियों आयोग की अनुशंसा पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण सेवा की मूल कोटि में की जाएगी।
- (ii) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष के एक अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेंगे और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेज देंगे।
- (iii) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को मेधाक्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता विभाग में अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।
- (iv) सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अभ्यर्थी की नियुक्ति परीक्षा पर एक वर्ष के लिए की जाएगी।

6. **अर्हताएँ।** – (i) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होगी।
- (ii) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।
7. **आरक्षण।** – सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर विहित नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति/प्रोन्नति में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।
8. **परिवीक्षा।** – किसी मौलिक पद के विरुद्ध नियुक्त मूल कोटि के प्रत्येक पदाधिकारी अपने पदग्रहण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर लिखित किये जा सकने वाले कारणों को अभिलिखित करते हुए इसे अगले एक और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं होने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
9. **प्रशिक्षण :-** सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में विभाग द्वारा यथा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
10. **विभागीय परीक्षा।** – विभागीय परीक्षा राजस्व पर्वद द्वारा संचालित की जाएगी। विभागीय परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं प्रक्रिया का निर्धारण केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्वद द्वारा विभाग के परामर्श से निर्धारित की जाएगी। विभागीय परीक्षा का आयोजन राजस्व पर्वद/बिपार्ड द्वारा किया जाएगा।
11. **सम्पुष्टि।** – (1) परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति परिवीक्षा अवधि समाप्त होने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेवा में सम्पुष्टि के पात्र होंगे :-
- (क) निर्धारित प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया हो,
- (ख) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण हो,
- (ग) कोषागार प्रशिक्षण प्राप्त हो,
- (घ) परिवीक्षा अवधि में आचरण एवं सेवा संतोषजनक एवं नियमित रही हो।
12. **वरीयता।** – इस नियमावली के अधीन इस सेवा में भर्ती किये गये पदाधिकारी की पारस्परिक वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा सूची के मेधा क्रमांक के अनुसार अवधारित की जाएगी। इस सेवा के सदस्यों की आपसी वरीयता का निर्धारण, राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित सिद्धांतों एवं प्रक्रिया के अनुसार होगा।
13. **प्रोन्नति।** – इस सेवा के द्वितीय पद सोपान एवं उसके ऊपर के सभी पद सोपानों पर नियुक्ति नीचे के पद सोपानों के पदाधिकारियों में से वरीयता सह योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर की जाएगी।
- प्रोन्नति के लिए पदाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न पदों पर प्रोन्नति हेतु विहित न्यूनतम कालावधि पूरी करना एवं संतोषप्रद सेवा पूर्ण करना तथा सेवा सम्पुष्ट होना अनिवार्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर प्रोन्नति संबंधी निर्गत संकल्प/परिपत्र/अधिसूचना इस सेवा के प्रोन्नति संबंधी मामलों में लागू होंगे।
14. **अवशिष्ट मामले।** – ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं है, संवर्गों के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।
15. **कठिनाई का निराकरण।** – यदि इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार समय-समय पर ऐसा सामान्य या विशेष निदेश द्वारा ऐसा प्रावधान कर सकेगी, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो और उक्त कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक एवं समीचीन हो।

16. **निर्वचन।** - जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ विभाग द्वारा विधि विभाग से परामर्श के पश्चात विनिश्चय किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
17. **निरसन और व्यावृत्ति।** - (1) इस सेवा से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश एतद द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी ऐसे संकल्प एवं अनुदेशों के अधीन किया गया कुछ भी या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन वैसा कुछ किया गया या वैसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0स्था0(मु0)-82/2022 -....., पटना, दिनांक -.....
प्रतिलिपि :- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0स्था0(मु0)-82/2022 -....., पटना, दिनांक -.....
प्रतिलिपि :- सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0स्था0(मु0)-82/2022 -....., पटना, दिनांक -.....
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला एवं बाल विकास निगम/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सचिव, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, पटना/राज्य आयुक्त निःशक्तता, राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय/उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य महिला आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0स्था0(मु0)-82/2022 -....., पटना, दिनांक - **677** **3.2.2026**
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी एवं विभागीय आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ प्रेषित।

3/2/26

अपर सचिव,

समाज कल्याण विभाग।